गाँधीजी सत्याग्रह

गाँधीजी ने सत्य और अहिंसा के आदर्शों को राजनीतिक क्षेत्र में व्यवहारिक रूप देने के लिए सिद्धान्त का प्रतिपादन किया था। उन्होंने सत्याग्रह का प्रयोग दक्षिण अफ्रीका के श्वेत शासकों द्वारा भारतीयों पर किए अत्याचारों का विरोध करने के लिए किया था। भारत लौटने पर राजनीतिक शस्त्र के रूप में इसका प्रयोग उन्होंने ब्रिटिश शासन के विरुद्ध किया था।

सत्याग्रह दो शब्दों से मिलकर बना है — सत्य + आग्रह। इस शब्द की व्याख्या अनेक प्रकार से की गई है। और इसके अनेक अर्थ बताए गए हैं। यथा :- सत्य के लिए आग्रह, सत्य पर डटे रहना, सत्य की रक्षा के लिए अहिंसात्मक संघर्ष करना।

गाँधीजी ने सत्याग्रह के अर्थ को स्पष्ट करते हुए लिखा है : "सत्याग्रह का मूल अर्थ है "सत्य का अवलम्बन'। मैंने इसे आत्मबल के नाम से पुकारा है।" मैंने यह खोज की है कि सत्याग्रह के प्रारम्भिक स्तरों पर मैंने यह खोज की है कि सत्य का अनुसरण इस बात की आज्ञा नहीं देता है कि कोई व्यक्ति अपने विरोधी के ऊपर बल का प्रयोग करेगा। इसके विपरीत उसे धैर्य एवं सहानुभूति से उसको गलत मार्ग से हटाना चाहिए। इसका कारण यह है कि जो बात एक व्यक्ति को सत्य मालूम होती है वह दूसरे को असत्य मालूम हो सकती है। इस प्रकार इस सिद्धान्त (सत्याग्रह) का अर्थ है — "विरोधी को कष्ट देकर नहीं वरन् अपने को कष्ट देकर सत्य का समर्थन करना।"

सत्याग्रह का उद्देश्य — जैसा कि हम ऊपर वर्णन कर आये हैं कि विरोधी को कष्ट देकर नहीं

2/

वरन् अपने को केवल देकर सत्य का समर्थन करना है। इस प्रकार सत्याग्रह को धर्मयुद्ध माना गया है। जिनके उद्देश्य बहुमुखी है ये उद्देश्य है — विरोधी को किसी प्रकार का शारीरिक या मानसिक हानि पहुंचाए बिना, उससे किसी प्रकार का बैर-भाव रखे बिना, उसे अपनी त्रुटियों, अत्याचारों, अन्यायों, दुष्कर्मों आदि का ज्ञान कराना। उसके विचारों एवं भावनाओं में परिवर्तन करके उसके हृदय पर विजय प्राप्त करना। और इस प्रकार उसका सुधार करके उसे सन्मार्ग पर लाना।

सत्याग्रही के गुण :— गाँधीजी का विश्वास है कि आत्मबल से सम्पन्न व्यक्ति बड़ी-से-बड़ी शक्ति से लोहा ले सकता है। आत्मबल के ही कारण गाँधीजी ने अपने समय के सर्वशक्तिशाली माने जाने वाले ब्रिटिश शासन से लोहा लिया था किन्तु सत्याग्रही में आत्मबल तभी आ सकती है जब उसमें कुछ आवश्यक गुण धारण कर लिए हो। गाँधीजी ने 1908 में "हिन्द स्वराज्य" में सत्याग्रही के अग्रलिखित पाँच गुण बताए थे — (1) ब्रह्मचर्य (2) निर्भयता (3) निर्धनता (4) सत्यनिष्ठा, एवं (5) अहिंसा में विश्वास। इन गुणों से सम्पन्न सत्याग्रही ही क्रोध पर प्रेम से, असत्य पर सत्य से एवं बुराई पर भलाई से और हिंसा पर अहिंसा से विजय प्राप्त कर सकता है।

सत्याग्रह की कला :— गाँधीजी का मत है कि जिस प्रकार रणक्षेत्र को जानेवाले सशस्त्र सैनिक को युद्ध कला से परिचित होना आवश्यक है, उसी प्रकार सत्याग्रही का सत्याग्रह की कला

से अवगत होना आवश्यक है। इस कला के निपुण व्यक्ति या नेता ही सत्याग्रह के अस्त्र का विवेक एवं कुशलता से प्रयोग करके अपने लक्ष्य को प्राप्त कर सकता है।

इसके नेता को सर्वप्रथम अन्याय को समाप्त करने के लिए अधिकारीयों को समझाना-बुझाना चाहिए। उसे विनम्र पूर्वक प्रार्थना करना चाहिए। जब उसके ये शान्तिपूर्ण प्रयास विफल हो जाए, तब उसे अत्याचार का विरोध करने के लिए सामूहिक रूप से सत्याग्रह को आरम्भ करने का निश्चय करना चाहिए। सत्याग्रह को आरम्भ करने से पूर्व नेता को जनमत को अपने पक्ष में निर्माण करना चाहिए, जब उसे पूर्ण विश्वास हो जाए कि जनमत उसके पक्ष में है, तब उसे न्यूनतम् माँग को निश्चित करके अधिकारियों को उसे पूरा करने का आग्रह करना चाहिए। इन माँगों के साथ ही उसे सत्याग्रह आन्दोलन को प्रारम्भ कर देना चाहिए। और यह आन्दोलन तबतक जारी रखना चाहिए तब तक कि अधिकारी उनके माँगों को नहीं मान जाए। उसे अपने आन्दोलन को माँगों तक ही सीमित रखना चाहिए और इसे अधिक व्यापक रूप धारण नहीं करना चाहिए। ऐसी स्थिति में समाज में, अशान्ति, अराजकता एवं अव्यवस्था उत्पन्न होने का भय

रहता है जिसके परिणाम स्वरूप सत्याग्रह - ~~दुराग्रह~~
दुराग्रह का रूप धारण कर सकता है। ~~इसीप्रकार~~
~~इस सिद्धान्त (सत्याग्रह) का अर्थ है — विरोधी को~~
~~कष्ट देना नहीं वरन् अपने को कष्ट देना सत्य~~
~~को निवेदन करना।~~

सत्याग्रह के नियम — सत्याग्रह के कुछ विशेष नियम हैं जिनका प्रत्येक सत्याग्रही के द्वारा पालन किया जाना अनिवार्य है। अतः गाँधीजी ने डांडी यात्रा एवं सविनय अवज्ञा आन्दोलन के पूर्व सन् 1930 को 'हिन्दी नव जीवन" एवं कुछ अन्य पत्र-पत्रिकाओं में अपने लेख प्रकाशित करके उन नियमों को समस्त सत्याग्रहियों तक पहुंचाने का प्रयास किया था। ये नियम निम्नलिखित ~~है~~ थे —

(1) सत्याग्रही को अपने विरोधी या अधिकारियों के प्रति क्रोध प्रकट नहीं करेगा।

(2) वह अपने विरोधियों या अधिकारियों के ~~क~~ क्रोध को सहन करेगा।

(3) वह अपने विरोधियों या अधिकारियों के विरुद्ध शक्ति का प्रयोग नहीं करेगा।

(4) वह अपने विरोधियों या अधिकारियों का अपमान नहीं करेगा। और ना ही विरोध के नारे लगायेगा।

(5) वह अपने अधिकारियों द्वारा दिए ~~गए~~ जाने वाले आदेश या दण्ड से भयभीत होकर उसके सामने अपना सिर नहीं झुकाएगा।

(6) उसमें अपने विरोधियों के प्रति बदले की भावना नहीं होगा।

(7) यदि कोई अधिकारी उसे गिरफ्तार करे

आयेगा तो वह खुद गिरफ्तार हो जायेगा।

(8) यदि कोई अधिकारी उसकी सम्पत्ति को जब्त करने आयेगा तो वह उसका सम्पत्ति को जब्त करने आयेगा तो वह उसका विरोध नहीं करेगा।

(9) यदि वह किसी के सम्पत्ति का संरक्षक है तो वह अपने जीवन को भी खतरे में डालकर उस अधिकारी के सम्पत्ति को जब्त नहीं करने देगा।

(10) यदि सत्याग्रह के समय कोई व्यक्ति किसी अधिकारी का अपमान करेगा या उस पर कोई आक्रमण करेगा तो वह अपना जीवन को खतरे में डालकर उसकी रक्षा करेगा।

सत्याग्रह के रूप :— गाँधीजी भारत के राजनीतिक आन्दोलन का नेतृत्व करने की अवधि में सत्याग्रह के अनेक रूपों का प्रयोग किया। सत्याग्रह के ये रूप निम्नलिखित है —

(1) निष्क्रिय प्रतिरोध (Passive Resistance) :- निष्क्रिय प्रतिरोध सत्याग्रह का प्रारम्भिक रूप है। यह निर्बल व्यक्तियों का अस्त्र है और यह हिंसा से पूर्णतया मुक्त नहीं है। यह व्यक्तियों को अपने पूर्णतया विरोधी के विरुद्ध शस्त्र और बल प्रयोग करने की अनुमति देता है। इसमें अपने विरोधी के प्रति रोष एवं घृणा की भावनाओं की प्रबलता होती है।

(2) हड़ताल (Strike) :- हड़ताल भी सत्याग्रह का एक रूप है। इसका अर्थ है किसी कष्ट, अन्याय या शिकायत के विरुद्ध असंतोष प्रकट करने के लिए काम पर न जाए। इसका उद्देश्य - श्रमिकों एवं कर्मचारियों द्वारा जनता एवं सरकार का ध्यान, अन्याय तथा

अथवा शिकायत के प्रति आकृष्ट करके उसका निवारण करवाना है। गाँधीजी का कहना था कि हड़ताल केवल उचित एवं न्यायपूर्ण माँग के लिए ही की जानी चाहिए और उसके पूरा होते ही हड़ताल समाप्त कर दी जानी चाहिए। गाँधीजी के अनुसार " न्यायप्राप्ति के लिए हड़ताल करना, श्रमिकों का जन्मसिद्ध अधिकार है, पर जैसे ही पूँजीपति - पंचनिर्णय का सिद्धांत स्वीकार करलें, हड़ताल को अपराध समझना चाहिए।"

③ बहिष्कार (Boycott) :— बहिष्कार भी सत्याग्रह का एक रूप है। यह तीन प्रकार का हो सकता है- सामाजिक, आर्थिक एवं राजनीतिक।

→ सामाजिक बहिष्कार से तात्पर्य है — व्यक्ति द्वारा सामाजिक दृष्टि से कोई अनुचित कार्य किए जाने पर, उसकी जाति के लोगों द्वारा उससे किसी प्रकार का सम्बन्ध न रखना। आर्थिक बहिष्कार के अन्तर्गत — विदेशी वस्तुओं के प्रयोग न करने एवं स्वदेशी वस्तुओं के प्रयोग को प्रोत्साहन देने पर बल दिया था। राजनीतिक बहिष्कार के अन्तर्गत ब्रिटिश सरकार द्वारा दिए जाने वाले उपाधियों को लौटाना तथा प्रदान किए गए पदों का परित्याग करना तथा उसके नीति हित के लिए स्थापित संस्थाओं से सम्बंध विच्छेद करना। स्वयं गाँधीजी ने भी कैसर हिंद पदक लौटाकर 'रॉलेट एक्ट' का विरोध किया था।

④ धरना :— बहिष्कार के समान धरना भी सत्याग्रह का एक रूप है। इसका अर्थ यह है कि जब तक विरोधी हमारी बात को नहीं मान लेता तब तक हम दुकान, कार्यालय, कारखानों के आगे

उनका मानना था कि हड़ताल का उद्देश्य प्रतीकात्मक होना चाहिए।

(5) हिजरत — इसे भी सत्याग्रह का एक रूप माना गया है, इसका अभिप्राय है — स्वेच्छा से निवास स्थान को छोड़कर दूसरे स्थान में जाकर बसना। यह अन्याय के विरुद्ध प्रतिक्रिया प्रदर्शित करने का अति प्राचीन साधन है। प्राचीन रोम के कुलीन वर्ग के व्यक्तियों के अत्याचारों से पीड़ित होकर निर्धन वर्ग के लोगों ने सामूहिक रूप से रोम छोड़ दिया था। मुहम्मद साहब ने मक्का, इस प्रकार हिजरत शब्द इस बात का द्योतक है — "दुर्जनम देश त्यागयेत"। गाँधीजी हिजरत का परामर्श उन व्यक्तियों को देते थे जिनमें सच्ची अहिंसा की शक्ति नहीं होती थी और परिस्थिति के अनुकूल जो हिंसक बन सकता था।

(6) उपवास — उपवास सत्याग्रह का एक शक्तिशाली अस्त्र है। गाँधीजी ने उपवास के विषय में यह धारणा व्यक्त की थी कि "सच्चा उपवास शरीर, मन एवं आत्मा को शुद्ध करता है।" स्वयं गाँधीजी ने उपवास का सहारा लिया। 1922 में चौरीचौरा हत्याकांड की समाप्ति पर 5 दिन, 1924 में हिन्दू-मुस्लिम एकता के लिए 21 दिन एवं 1933 में ब्रिटिश PM रैम्जे मैकडोनाल्ड को अस्पृश्यता सम्बन्धी निर्णय रद्द कराने के लिए 5 दिनों तक का उपवास किया था।

(7) असहयोग — यह भी सत्याग्रह का एक प्रबल अस्त्र है। इसका अर्थ है — अन्यायी अथवा अत्याचारी को अपनी गलती का ज्ञान कराकर उसे सहयोग प्राप्त करने के लिए बाध्य करना। असहयोग का उद्देश्य न तो विपक्षी से सम्बन्ध-विच्छेद करना है न ही उसके प्रति शत्रुता एवं वैमनस्यता की भावनाएँ प्रदर्शित करना है। इसके विपरीत, असहयोग का उद्देश्य - विपक्षी को ऐसी स्थिति में लाना है कि वह स्वयं स्वेच्छा से सहयोग करने के लिए विवश हो जाए। इसका [illegible]

(8) गाँधीजी के विचारानुसार असहयोग पूर्ण रूप से अहिंसात्मक होना चाहिए। इसके अभाव असहयोग व्यक्ति विशेष से ना होके उसके अन्यायपूर्ण कार्यों से करना चाहिए। गाँधीजी असहयोग को राजनीतिक क्षेत्र में अत्यन्त प्रभावशाली साधन मानते थे। उनका मानना था कि यदि सरकार अन्यायी एवं अत्याचारी है तो जनता को उसका अन्त करने के लिए इस साधन का प्रयोग करना केवल अधिकार ही नहीं वरन् उनका परम कर्तव्य भी है। जनता के सामूहिक असहयोग के सामने निरंकुश शासन का भी झुकना अवश्यम्भावी होता है।

(8) सविनय अवज्ञा — सविनय अवज्ञा सत्याग्रह के शस्त्रागार का अन्तिम और सबसे अधिक शक्तिशाली अस्त्र है। यह सशस्त्र विरोध का रक्तहीन रूप है। सविनय का अर्थ है — सभ्य या शिष्ट अर्थात् अहिंसात्मक और अवज्ञा का अर्थ है — आज्ञा अथवा कानून का उल्लंघन। अतः सविनय अवज्ञा का तात्पर्य है- शिष्टता अथवा अहिंसात्मक ढंग से अनैतिक कानूनों का उल्लंघन करना, चाहे उसके लिए सत्याग्रही को कितना ही अधिक कष्ट क्यों न भोगना पड़े। इस प्रकार सविनय अवज्ञा का उद्देश्य - अनैतिक कानूनों को भंग करना और विरोधी के विरुद्ध अहिंसात्मक विद्रोह करना।

सविनय अवज्ञा का प्रयोग गाँधीजी नमक कानून एवं अन्य कानूनों को तोड़ने के लिए किया था।

हालाँकि असहयोग सविनय अवज्ञा का रूप सदैव अहिंसात्मक होता है। पर सविनय अवज्ञा, असहयोग की अपेक्षा सविनय अवज्ञा को वरीयता देते है। सत्याग्रह का उग्रतम रूप है। सत्याग्रह का अन्तिम मंजिल और इसलिए गाँधीजी इसके प्रयोग के विषय में विशेष चेतावनी देते थे। उनका आग्रह था कि- "सविनय अवज्ञा, हृदय से आदरपूर्ण एवं संयत होनी चाहिए, शुद्ध उच्च सिद्धान्तों पर आधारित होनी चाहिए और इसमें घृणा एवं शत्रुता की कोई भावना नहीं रहनी चाहिए"

— — —